

27/5/11

पंजाबली प्रशासन गांव के संग अक्रियता
 2021 गांव पंचायत सुदारी के पेश हुई।
 प्राथी (वारी डोंगयसिंह ने प्रमाण-02381/11
 पेश कर निवेशक किया कि उन्होने पतिवारी
 संख्या 1 के साथ प्रशासन गांव के संग अक्रियता
 2021 गांव पंचायत सुदारी के तहसीलदार
 महेश्वर के समक्ष अपना बंधारा पत्र
 लिखा है। और उन्हें न्यायालय से कोर्ट
 अनुमति नहीं चाहिए। और डावा बिडो
 करने की अनुमति देने का निवेशक किया।
 पंजाबली का अवलोकन किया, प्रमाण
 के अनुसंधान के मध्य सहमति से बंधारा
 अक्रियता के हो चुका है। वारी सिविल
 प्रक्रिया संहिता की धारा आदेश 23 नियम 1
 के तहत किसी भी तरह का डावा बिडो
 कर सकता है।
 और वारी को डावा बिडो

डावा बिडो

सर्वेक्षित
 ग्राम पंचायत सुदारी
 पंजाब प्रशासन

डावा बिडो
 सुदारी
 पंजाब

की आनुमानिक घटना की जाती है। राक
वारी विज्ञान के अनुसार परम्परा
किया जाता है। पञ्जाब की कृषि
लेकर शान्तिपूर्ण है।

कैम्प प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी)
प्रशासन गांव के संग अति 0-3021
कैम्प ग्राम पं०.....
पंचायत समिति व जिला कार्यालय